~ ~

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या 58 / 2022 | अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
महेशपालसिंह पुत्र शेरसिंह जाति खारवाल, निवासी 21 / 624 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर		1. मदनलाल पुत्र धीगड़मल जाति जैन, निवासी गुलाबनगर पालरोड़, जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर 2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1 अधिवक्ता वादी – श्री जेठाराम कुमावत।
2 अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री देवीलाल कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 13.12.2024

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल आकली के ग्राम करणीपुरा के खेत खसरा नम्बर 437 / 196 रकबा 2.0558 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	महेशपालसिंह पुत्र शेरसिंह जाति खारवाल, निवासी 21 / 624 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर	करणीपुरा	437 / 196	1.0279	बा.दो.	–	हरा
2	मदनलाल पुत्र धीगड़मल जाति जैन, निवासी 61 गुलाबनगर पालरोड़, जोधपुर	करणीपुरा	437 / 196	1.0279	बा.दो.	–	

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 13.12.2024 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner